सत्यमेव जयते

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड Railway Board)

# अराजपत्रित श्रेणी में छुटटी एवजी की व्यवस्था
## मास्टर परिपत्र
# Master Circular
ON
# Leave Reserve-Provision of in Non-gazetted Categories

41

(25)

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

... RBE No.222/91.

M.C. No. 41.

No. E(G)91 LR1-2 (Master Circular). New Delhi, dated 25.12.1991

The General Managers,
All Indian Railways,
Production Units,

The General Manager,
Metro Railway, Calcutta & others
As per Standard Mailing list.

Subject: Leave reserve - provision of in non-gazetted categories.

- - -

The instructions issued by the Railway Board from time to time on the subject of Leave Reserve in non-gazetted categories are contained in several letters. The Railway Board have now decided to consolidate the instructions issued so far on the subject, into a single Master Circular, as below, for the information and guidance of all concerned.

2. The sanctioned strength of Group 'C' and 'D' staff includes a leave reserve provision, which varies according to the essentiality of providing relief to the Railway servants, who avail leave or have to be necessarily away on other/miscellaneous requirements.

2.1 Percentages of leave reserve which have been prescribed for provision in the various categories, based on the Adjudicator's award, have been given in Annexure-I.

2.2 Ordinarily, the leave reserves should be provided in the lowest category in each normal promotion group. However, in certain categories, the leave reserves may be provided in intermediate grades, so as to avoid a long chain of relieving arrangements, which would militate against efficient working and also administrative flexibility besides involving additional daily allowance. Categories where the leave reserves have been permitted to be provided in intermediate grades have been shown in Annexure-II.

(Ref: Board's letters No.E(Adj.)48 LR-1 dated 14.8.1951,
No.E(S)I-58 Adj/LR/1 dated 12.6.58,
and No.E(G)62 LR1/1 dated 10.4.1963.)

3. Leave reserve should not be provided in the categories of staff of Railway schools who get holidays during the vacation and who have been excluded from the scope of Hours of Employment Regulations.

(Ref: Board's letters No.E(Adj)48 LR-1 dated 14.8.1951
and No.E(G)83 LR1/4 dated 3.5.1985).

...2/-

(24)



4. The provision of leave reserves as per percentages mentioned in Annexure-I will apply to the permanent posts. Leave reserves with reference to the temporary posts should be provided at 7/8th of the percentages prescribed in respect of permanent posts. For this purpose, the number of sanctioned temporary posts as on Ist April and Ist October of each year should be adopted.

(Ref: Board's letter No.E(Adj)48 LR-1 dated 26.11.1951).

5. Leave reserve percentages, wherever they are below the minimum percentage prescribed, should be brought up to the minimum, except in respect of posts chargeable to the Demand pertaining to the Administration. In the case of Loco Running Staff and Guards, the leave reserves may be provided at the maximum of 30% and 25% respectively.

(Ref: Board's letters No.E(G)73 LR1/11 dated 3.12.73,
No.E(G)78 LR1/2 dated 30.6.78 and
No.E(G)70 LR1/2 dated 27.4.73.)

6. The provisions of leave reserves is intended to cover absenteeism on various counts i.e., not only leave but also other purpose like joining time on transfer, vision tests, training courses, court attendance, attendance at enquiries, PNM meetings, selections etc. Leave reserves should, therefore, be utilised for the purpose for which they are intended and they should not be posted against regular vacancies by keeping the leave reserve posts vacant for long periods.

(Ref: Board's letters No.E(G)70 LR1/15 dated 12.11.70,
No.E(G)73 LR1/11 dated 3.12.73, and
No.E(G)78 LR1/83 dated 26.12.1978.)

7. Distribution of leave reserves should be made in such a manner as to afford their quick availability wherever they are required, with minimum dislocation for the leave reserves themselves. Decentralised control of leave reserves should be observed.

(Ref: Board's letters No.E(G)62 LR1/3 dated 7.5.1964,
No. E(G)70 LR1/1 dated 24.3.1972,
and No. E(G)83 LR1/5 dated 3.5.1985.)

8. While considering any proposal for increase in the strength of leave reserves, the possible effect that the facility of encashment of leave on superannuation now available to the Railway servants may have on the actual utilisation of leave should be kept in mind.

(Ref: Board's letter No.E(G)78 LR1/25 dated 21.12.1978)

...3/-

(23)



9. (i) While referring to the master circular, the original letters mentioned herein should be read for a proper appreciation. The master circular is only a consolidation of the existing instructions and should not be treated as a substitution of the original circulars. In case of doubt, the original circulars should be relied upon as authority;

(ii) The instructions contained in the original circulars referred to have only prospective effect unless indicated otherwise;

(iii) If any circular having a bearing on the subject, which has not been superseded has been lost sight of in the preparation of the master circular, the said circular which has been missed through oversight should not be ignored but should be treated as valid and operative.

10. The letters on the basis of which the master circular has been prepared are indicated in the enclosed list.

jkaud

Desk Officer, Establishment,
Railway Board.

DA: One list referred to in para 10.)
Annexure - I. ) Three in all.
Annexure - II. )
)

(22)

List showing the reference number and date of letters on the basis of which the master circular has been prepared.

- x -

| | Letter No. | Date |
|---|---|---|
| 1. | E(Adj)48 LR 1 | 14.8.1951. |
| 2. | E(Adj)48 LR 1 | 26.11.1951. |
| 3. | E(S)I 57 ADJ/12 | 31.10.1957. |
| 4. | E(S)I 58 ADJ/LE/1 | 12.6.1958. |
| 5. | E(G)62 LR1/1 | 18.4.1963. |
| 6. | E(G)62 LR1/3 | 7.5.1964. |
| 7. | E(G)62 LR1-10 | 28.12.1964. |
| 8. | E(G)65 LR1-4 | 25.6.1965. |
| 9. | E(G)64 LR1-2 | 5.1.1966. |
| 10. | E(G)64 LR1-15 | 19.1.1966. |
| 11. | E(G)62 LR1-9 | 15.4.1966. |
| 12. | E(G)65 LR1-4 | 11.8.1966. |
| 13. | E(G)68 LR1-12 | 5.12.1968. |
| 14. | E(G)68 LR1-12 | 28.3.1969. |
| 15. | E(G)68 LR1-12 | 17.9.1969. |
| 16. | E(G)68 LR1-12 | 30.10.1969. |
| 17. | E(G)70 LR1-13. | 10.09.1970. |
| 18. | E(G)70 LR1-13. | 24.11.1970. |
| 19. | E(G)70 LR1-15 | 12.11.1970. |
| 20. | E(G)70 LR1-3 | 8.7.1971. |
| 21. | E(G)70 LR1-6 | 8.11.1971. |
| 22. | E(G)70 LR1-1 | 24.3.1972. |
| 23. | E(G)70 LR1-14 | 27.4.1973. |
| 24. | E(G)72 LR1-6 | 27.4.1973. |
| 25. | E(G)70 LR1-2/Pt. | 27.4.1973. |
| 26. | E(G)73 LR1-11 | 3.12.1973. |
| 27. | E(G)73 LR1-19 | 20.4.1974. |
| 28. | E(G)76 LR1-6 | 20.5.1978. |
| 29. | E(G)78 LR1-2 | 30.6.1978. |
| 30. | E(G)78 LR1-17 | 22.12.1978. |
| 31. | E(G)78 LR1-25 | 21,12.1978. |

....2/-

(21)



| | Letter No. | Date |
|---|---|---|
| 32. | E(G)78 LR1-33 | 26.12.1978. |
| 33. | E(G)78 LR1-16 | 1.1.1979. |
| 34. | E(G)78 LR1-17 | 21.4.1979. |
| 35. | E(G)78 LR1-16 | 8.6.1979. |
| 36. | E(G)79 LR1-12 | 29.12.1981. |
| 37. | E(G)81 LR1-14 | 14.4.1982. |
| 38. | PC-III/81/CAiii/87 | 16.12.1983. |
| 39. | E(G)83 LR1-5 | 3.5.1985. |
| 40. | E(G)83 LR1-4. | 3.5.1985. |
| 41. | PC-III/84/UPG/19 | 25.6.1985. |
| 42. | E(G)86 LR1/2 | 3.7.1986. |
| 43. | E(G)86 LR1/2 | 29.2.1988. |
| 44. | E(G)86 LR1/2 | 27.7.1988. |

(20)

ANNEXURE-I

## Provision of leave reserves for various categories

| | Categories | Percentage provision |
|---|---|---|
| 1. | Operating staff requiring replacement even for short periods for normal working - Group 'C' | 16-2/3% to 30% |
| 2. | Operating staff requiring replacement even for short periods for normal working - Group 'D'. | 16-2/3% to 30% |
| 3. | Loco Running staff of all grades. | 15% to 30% |
| 4. | Guards Grade 'C' | 15% to 30% |
| 5. | Commercial staff, Inspectorial or supervisory staff and such staff of all departments as require replacement even for short periods for smooth and efficient working. | 15% to 25% |
| 6. | Group 'D' staff of commercial and other Departments as require replacement even for short periods for smooth and efficient working. | 15% to 25% |
| 7. | Office clerks, Workshop staff and such staff of all Departments, who need not be replaced for short periods - Group 'C' and skilled, | 12.5% |
| 8. | Group 'D' and semi-skilled. | 12.5% |
| 9. | Unskilled and other categories for whom substitutes can be engaged. | 12.5% |

(Ref: Board's letter No. E(Adj)48 LR1 dated 14.8.1951,
No. E(S)I/58/Adj/LE/1 dated 12.6.58,
and No. E(G) 73 LR1/11 dated 3.12.1973.

....

ANNEXURE II

Catogories where provision of leave reserve in inter-mediate grades has been allowed.

| S.No. | Category | Grade I Category in which Leave Reserve provision has been allowed. |
|---|---|---|
| 1. | Station Master/Assistant Station Master<br>Rs.330-560/1200-2040 (RPS) | Leave reserve to the extent of 100% in grade itself. |
| | Rs.425-640/1400-2300 | 25% in the grade itself and balance in Rs.1200-2040 subject to adjustment necessitated as a result of restructuring.<br>Letter No. PCIII/81/CAiii/87 dated 16.12.83. |
| | Rs.455-700/1400-2300 & above | 100% in the grade itself. |
| | Yard Master/Assistant Yard Master Grade: Rs.455-700/1400-2300(RPS) | Leave Reserve to be operated as per practice obtaining on each Railway. |
| 2. | Switchmen Rs.330-560/1200-2040 | To be provided in the category itself. (Ref: Board's letter No. E(G)62 LR1-10 dated 28.12.64) |
| 3. | Cabinmen Gr.I Rs.260-400/950-1500<br>Cabinmen Gr.II Rs.210-270/800-1150<br>Levermen | Leave Reserves to be provided in Gr. Rs.210-270/800-1150 and where the provision in this regard is found inadequate as a result of less posts in the grade, the short fall to be made good by providing posts to the extent necessary in Gr.260-400(RS).<br>(Ref: Board's letter No. E(G)62 LR1/10 dt.28.12.64 E(G)76 LR1/6 dated 20.5.78 and PCIII/81/CAiii/87 dated 16.12.1983.) |

.....2/-

(18)



| S.No. | Category | Grade I category in which Leave Reserve provision has been allowed. |
|---|---|---|
| 4. | Guard 'A' Rs.455-700(RS) \| 1400-<br>Special Rs.425-700(RS) \| 2600<br><br>Guard 'A' Rs.425-600(RS)/1350-2200<br><br>Guard 'B' Rs.330-560(RS) \| 1200-<br>Guard 'C' Rs.330-530(RS) \| 2040 | Leave reserves for Guard 'A' Special and Guard 'A' to be provided to the extent of 15% in the grade Rs. 425-600(RS) and balance in Grade 'B'.<br>(Ref: Board's letter No.PCIII/84/UPG/19 dt.25.6.85)<br><br>To be provided in the category itself.<br>(Ref: Board's letter No. E(G)78 LR1-16 of 8.6.79 and E(G)68 LR1-2 of 5.12.68) |
| 5. | Shunting Jamadar<br>Grade: Rs.330-480(RS)/1200-1800 | To be provided in the category itself.<br>(Ref: Board's letter No. E(G)70 LR1/14 dt. 27.4.73) |
| 6. | Chief Controller<br>Rs.840-1040/1200(RS)2375-3500<br><br>Dy. Chief Contrcller<br>Rs.700-900(RS)/2000-3200<br><br>Section Controller<br>Rs.470-750(RS)/1400-2600 | Against the posts of Chief Controller and Dy. Chief Controller, Leave Reserve posts to the extent of 50% will be in grade Rs.700-900(RS) and the balance in grade Rs.470-750(RS).<br>(Ref: Board's letter No. E(G)79 LR1-12 dt. 29.12.81) |
| 7. | Traffic Supervisory staff such as Transportation Inspector etc. in the Channel of Promotion of Guards. | Provision to be made in the category of Guard 'B' as prevalent in certain Railways as per general instructions<br>(Ref: Board's letter No. E(G)70 LR1/3 dt. 8.7.1971 and E(G)68 LR1-12 dt. 17.9.1969) |
| 8. | Brakesmen Rs.225-308(RS)<br>325-1200 | To be provided in the same category.<br>(Ref: Board's letter No. E(G)68 LR1/2 dt. 30.10.69). |

.....3/-

| S.No. | Category | Grade I Category in which leave reserve provision has been allowed. |
|---|---|---|
| 9. | Travelling Ticket Examiner Rs.330-560(RS)/1200-2040. | 50% of Leave reserves to be in the grade of TTEs and the balance in the grade of Ticket Collectors Rs.260-400(RS). (Ref: Board's letter E(G)70 LR1/6 dated 8.11.71) |
| 10. | Enquiry cum Reservation Clerk Rs.330-560(RS)/1200-2040. | In the grade itself. (Ref: Board's letter No.E(G)72LR1-6 dt. 27.4.1973) |
| 11. | Conductor Rs.425-600(RS)/1400-2300. | In the grade itself. (Ref: Board's letter No.E(G)62 LR1/9 dt. 15.4.1966) |
| 12. | Cook(Catering Department) Rs.75-110(RS)/210-270(RS)/800-1150. | In the category of cook. (Ref: Board's letter No.E(G)65 LR1/4 dt. 25.6.65). |
| 13. | Asstt. Manager(Catering) (Catering Supervisor) Rs.110-200(RS)/260-430(RS) | In the category itself instead of clerks. (Ref: Board's letter No.E(G)65 LR1/4 dt. 11.8.66) |
| 14. | Mail Driver 'A' Special Rs.550-750(RS)/1640-2900 Passanger Driver Rs.550-700(PS)/1600-2660 | Leave reserve for Driver 'A' Special and Driver 'A' to be in Driver 'A' grade of Rs.550-700(RS). (Ref: Board's letter No.PCIII/84/UPG/19 dt. 25.6.85) |
| | Goods Driver Rs.425-640(RS)/1350-2200 | In the category of Driver 'B'. (Ref: Board's letter No.E(G)68 LR1-12 dated 5.12.68) |
| | Driver 'C' Rs.330-560(RS)/1350-2200 | In the category of Driver 'C' (Ref:Board's letter No.E(G)73 LR1-19 dt. 20.4.1974) |
| 15. | Shunter Rs.330-560(RS)/290-400(RS)/ 1200-2040. | In the category itself. (Ref: Board's letter No.E(G)68LR1/12 dated 17.9.69) |

.....4/-

(16)



| S.No. | Category | Grade I category in which Leave Reserve Provision has been allowed. |
|---|---|---|
| 16. | Fireman 'A' & 'B' Rs.290-350(RS)/Rs.950-1500.<br><br>Assistant Electric Loco Driver Rs.290-350(RS)/950-1500. | To be provided in category itself.<br><br>(Ref: Board's letter No.E(G)68LR1/12 dt. 28.3.1969 & PCIII/84/UPG/19 dated 25.6.1985.) |
| 17. | Shunter (Diesel) Rs.1200-2040. | To be provided in the same grade. (Ref: Board's letter No.E(G)68 LR1/12 dt.28.3.1969) |
| 18. | Works Mistry Rs.380-560(RS)/1320-2040. | In the grade of Works Mistry itself instead of in the category of Mason/Welder/Blacksmith etc. (Ref: Board's letter No. E(G)64 LR1-2 dated 5.1.1966 |
| 19. | Skilled posts in Mech, S&T, Elec.; CE Workshops, Printing Press, Loco Sheds, C&W Department, Train Lighting, EMU Depots and Traction Lighting | Leave reserve for all skilled posts i.e. skilled, Highly skilled Gr. I & II to be provided in the lowest skilled grade in the category. (Ref: Board's letter No.E(G)70 LR1-13 dated 10.9.1970 E(G)70 LR1/13 dated 24.11.1970 and 30.8.1971). |
| 20. | Chargemen Rs.425-700(RS)/1400-2300 | In the grade itself. (Ref: Board's letter No.E(S)I/57 ADJ/12 dt. 31.10.195 |
| 21. | Asstt. Signal Inspector Rs.425-640(RS/1400-2300<br><br>Asstt. Block Inspector Rs.425-640(RS)/1400-2300. | In the grade of Rs.425-640(RS) (Ref: Board's letter No.E(G)64 LR1-15 dated 19.1.1966 |
| 22. | Block Signal Maintainer Rs.330-480(RS)/ 1200-1800 including Gr. II Staff Maintaining Signal equipment. | In the grade itself. (Ref: Board's letter No.E(G)78 LR1/17 dated 21.4.1979 |

....5/-

(15)



| S.No. | Category | Grade I category in which Leave Reserve provision has been allowed. |
|---|---|---|
| 23. | Block Signal Maintainer Rs.330-560(RS)/ 1320-2240 including Gr.I staff maintaining Signal equipment. | In the grade itself. (Ref: Board's letter No. E(G)78 LR1-17 dt. 22.12.78) |
| 24. | Dressers Rs.225-308(RS)/825-1200 | To be provided in the category of Dressers in scale Rs.210-270(RS). (Ref: Board's letter No.E(G)81 LR1-14 dt. 14.4.1982) |
| 25. | Section Officer(A/cs.) Rs.500-900(RS)/1640-2900 Inspector of Stores Accounts Rs.500-900(RS)/1640-2900(RPS). | To be provided in Grade Rs.1200-2040(RPS) i.e., (i) Junior Accounts Assistant and (ii) Junior Inspector of Station Accounts. (Ref: Board's letter No. E(G)86 LR1/2 dated 3.7.1986, 29.2.1988 and 27.7.1988) |
| 26. | Loco Supervisory Staff such as Loco Foreman, Loco Inspectors etc. in the channel of Promotion of Loco Running Staff. | Leave Reserve to be provided in the category of Driver 'B'. (Ref: Board's letter No. E(G)68 LR1/12 dated 17.9.1969). |

- - - -

(14)

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं.

RBE NO.222/91
MC No.41/91
नई दिल्ली, दिनांक 23.12.1991.

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें, उत्पादन इकाइयां.

महाप्रबंधक,
मेट्रो रेलवे, कलकत्ता एवं अन्य * * *

* * * मानक डाक सूची के अनुसार ।

विषय:- अराजपत्रित कोटियों में छुट्टी एवज़ी का प्रावधान ।

.....

अराजपत्रित कोटियों में छुट्टी एवज़ी से संबंधित विषय पर रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेश विभिन्न पत्रों में निर्दिष्ट हैं । रेलवे बोर्ड ने अब यह विनिश्चय किया है कि इस विषय पर अब तक जारी अनुदेशों को, सभी संबंधितों की सूचना और मार्गदर्शन के लिए, निम्नानुसार, एक मास्टर परिपत्र के रूप में समेकित किया जाए ।

2. ग्रुप "सी" और "डी" कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या में छुट्टी एवज़ी का प्रावधान होता है । एवज़ी का प्रावधान उन रेल कर्मचारियों, जो छुट्टी पर जाते हैं अथवा जिन्हें अन्य/विविध अपेक्षाओं के कारण अनिवार्यत: बाहर रहना होता है, को राहत प्रदान करने की अनिवार्यता के अनुरूप भिन्न-भिन्न होता है ।

2.1 छुट्टी एवज़ी का प्रतिशत जो निर्णायक के अवॉर्ड के आधार पर विभिन्न कोटियों में व्यवस्था करने के लिए निर्धारित किया गया है, अनुबंध-I में दिया गया है ।

2.2 सामान्यत: प्रत्येक सामान्य पदोन्नति ग्रुप में निम्न कोटि में छुट्टी एवज़ी मुहैया किया जाना चाहिए । तथापि, कुछ कोटियों में, मध्यवर्ती ग्रेडों में छुट्टी एवज़ी की व्यवस्था की जा सकती है, ताकि रिलीविंग व्यवस्था की एक लंबी प्रक्रिया से बचा जा सके, जिससे कार्यकुशलता तथा प्रशासनिक

...2..

लोच पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और अतिरिक्त दैनिक भत्ता देना होगा । जिन कोटियों में मध्यवर्ती ग्रेडों में एवज़ी की अनुमति दी गयी है, उनका ब्यौरा अनुबंध-।। में दिया गया है ।

§संदर्भ :- बोर्ड को 14.8.51 का पत्र सं. ई§एइज§48एल आर-1,
12.6.58 का पत्र सं. ई§एस§1-58 एइज/एल ई/1और
10.4.63 का पत्र सं. ई§जी§62 आई आर 1/1 §.

3. रेलवे स्कूलों के कर्मचारियों की उन कोटियों में छुट्टी एवज़ी मुहैय्या नहीं किए जाने चाहिए जिनको स्कूलों की छुट्टियों के दौरान अवकाश मिलता है और जो राज़गार कार्य विनिमय को परिधि में नहीं आती हैं ।

§संदर्भ :- बोर्ड का 14.8.51 का पत्र सं. ई§एइज§48 आईआर-1
और 3.5.85 का पत्र सं. ई§जी§83 आई आर / 4§.

4. अनुबंध-1 में उल्लिखित प्रतिशतों के अनुसार छुट्टी एवज़ी की व्यवस्था स्थायी पदों पर लागू होगी । अस्थायी पदों के संदर्भ में छुट्टी एवज़ी स्थायी पदों के संबंध में निर्धारित प्रतिशत के 7/8 वां भाग के बराबर दिए जाने चाहिए । इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक वर्ष को पहली अप्रैल और पहली अक्तूबर को अस्थायी पदों की स्वीकृत संख्या ली जानी चाहिए ।

§संदर्भ :- बोर्ड का 26.11.51 का पत्र सं. ई§एइज§48
एल आर -1§.

5. छुट्टी एवज़ी प्रतिशत, जहां कहीं वे निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत से कम हैं, उसे उन पदों को छोड़कर जो प्रशासन से संबंधित मांग को प्रभार्य हैं, न्यूनतम पर लाया जाना चाहिए । लोको रनिंग कर्मचारियों और गार्डों के मामले में, छुट्टी एवज़ी क्रमशः 30% और 25% के अधिकतम पर दिए जाने चाहिए ।

§संदर्भ :- बोर्ड का 3.12.73 का पत्र सं. ई§जी§73 एल आर 1/11,
30.6.78का पत्र सं. ई§जी§78 एल आर 1/2 और
27.4.73 का पत्र सं. ई§जी§70 एल आर 1/2§.

6. छुट्टी रिज़र्व की व्यवस्था करने का आशय यह है कि विभिन्न कारणों से अनुपस्थिति के दौरान कर्मचारियों को तैनात किया जा सके अनुपस्थिति का आशय न केवल छुट्टी से है वरन् अन्य प्रयोजनों जैसे स्थानांतरण पर कार्यभार ग्रहण करने के समय दृष्टि परीक्षा, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, अदालत में हाज़िरी, जांच में उपस्थिति, स्थायी वार्ता तंत्र की बैठकों, प्रदरणों में भाग लेने से भी है। इसलिए छुट्टी रिज़र्व उस प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किए जाने चाहिए जिसके लिए वे नियत हैं और छुट्टी रिज़र्व पदों को लंबी अवधि तक खाली रखकर नियमित रिक्तियों पर उनकी तैनाती नहीं की जानी चाहिए।

§संदर्भ : बोर्ड का 12.11.70 का पत्र सं. ई§जी§70 एल आर 1/15, 3.12.73 का पत्र सं. ई§जी§73 एल आर 1/11, 26.12.78 का पत्र सं. ई§जी§78 एल आर 1/83§.

7. छुट्टी रिज़र्वों का वितरण इस तरीके से किया जाना चाहिए ताकि जब कभी उनकी आवश्यकता हो, उस समय वे तत्काल उपलब्ध हो सके और स्वयं छुट्टी रिज़र्वों के लिए कम से कम व्यवधान पड़े। छुट्टी रिज़र्वों के विकेन्द्रीकृत नियंत्रण का पालन किया जाए।

§संदर्भ :- बोर्ड का 7.5.64 का पत्र सं. ई§जी§62 एल आर 1/3, 24.3.72 का पत्र सं. ई§जी§70 एल आर 1/1 और 3.5.85 का पत्र सं. ई§जी§83 एल आर 1/5§.

8. छुट्टी रिज़र्वों की संख्या में वृद्धि करने के किसी प्रस्ताव पर विचार करते समय, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर रेल कर्मचारियों को छुट्टी के बदले नकद राशि प्राप्त करने की जो सुविधा उपलब्ध है उसका छुट्टी के वास्तविक उपयोग पर पड़ने वाले सम्भावित प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

§संदर्भ :- बोर्ड का 21.2.78 का पत्र सं. ई§जी§78 एल आर 1/25§.

9. (i) मास्टर परिपत्र का हवाला देते समय, उचित मूल्यांकन के के लिए इसमें उल्लिखित मूल पत्रों को पढ़ा जाए । मास्टर परिपत्र मौजूदा अनुदेशों का संकलन मात्र है और इसे मूल परिपत्रों के बदले नहीं समझा जाना चाहिए । संदेह होने पर, मूल परिपत्रों को प्रामाणिक मानकर उन पर भरोसा किया जाए ;

(ii) जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, मूल परिपत्रों में अन्तर्विष्ट अनुदेश उनके जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे ।

(iii) इस परिपत्र को तैयार करते समय यदि इस विषय पर किसी परिपत्र को, जिसका अधिक्रमण नहीं किया गया है, ध्यान में नहीं रखा गया हो, तो गलती से छूट गए उक्त परिपत्र को नज़र अंदाज नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उसे वैध और प्रभावी माना जाए ।

10. जिन पत्रों के आधार पर यह मास्टर परिपत्र तैयार किया गया है उनका उल्लेख संलग्न सूची में किया गया है ।

अनुलग्नक : उपरोक्त.

जगदीश चंद्र
डेस्क अधिकारी, स्थापना,
रेलवे बोर्ड.

अनुबंध-I

## विभिन्न कोटियों के लिए छुट्टी एवज़ियों की व्यवस्था

| कोटियां | प्रतिशत प्रावधान |
|---|---|
| 1. परिचालन कर्मचारी जिनके बदले सामान्य कार्य के लिए अल्प अवधियों के लिए भी कर्मचारी अपेक्षित हों - ग्रुप "सी" | 16-2/3% से 30% |
| 2. -वही- ग्रुप "डी" | 16-2/3" से 30% |
| 3. सभी ग्रेडों के लोको रनिंग कर्मचारी | 15% से 30% |
| 4. गार्ड ग्रेड "सी" | 15% से 30% |
| 5. वाणिज्यिक कर्मचारी, निरीक्षण या पर्यवेक्षण कर्मचारी और सभी विभागों के ऐसे कर्मचारी जिनके बदले निर्बाध और कुशल कार्य के लिए अल्प अवधियों के लिए भी कर्मचारी अपेक्षित हों । | 15% से 25% |
| 6. वाणिज्य और अन्य विभागों के ग्रुप "डी" कर्मचारी जिनके बदले निर्बाध और कुशल कार्य के लिए अल्प अवधि के लिए भी कर्मचारी अपेक्षित हो । | 15% से 25% |
| 7. कार्यालय लिपिक, कारखानों के कर्मचारी और सभी विभागों के ऐसे कर्मचारी, जिनकों ग्रुप "सी§ और कुशल कोटि में प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है । | 12.5% |
| 8. ग्रुप "डी और अर्ध-कुशल । | 12.5% |
| 9. अकुशल और अन्य कोटियां जिनके लिए एवज़ी लगाए जा सकते हैं । | 12.5% |

§संदर्भ :- बोर्ड का 14.8.51 का पत्र सं. ई§एस§48 एल आर ।
12.6. का पत्र सं. ई§एस§1/58/एस्ट्रज/एल ई /1
3.12.73 का पत्र सं. ई§जी§73/एल आर 1/11 §.

कोटियां जिनमें मध्यवर्ती ग्रेडों में छुट्टी एवजियों की व्यवस्था करने की अनुमति दी गयी है ।

अनुबंध-II

| 1. कोटि | ग्रेड/कोटि जिसमें छुट्टी स्वजी व्यवस्था की अनुमति दी गयी है |
|---|---|
| 1. स्टेशन मास्टर/सहा॰ स्टेशन मास्टर | |
| 330 -560 रू॰/ 1200- 2040 रू॰ (सं॰वे॰) | ग्रेड में ही 100% की सीमा तक छुट्टी स्वजी |
| 425 -640 रू॰/1400 - 2300 रू॰ | ग्रेड में ही 25% और शेष 1200- 2040 रू॰ के ग्रेड में॰ लेकिन इसमें पुनर्संरचना के परिणामस्वरूप अपेक्षित समायोजन किया जा सकता है । 16·12·83 का पत्र सं॰ पी सी॰III/सी ए III/87 |
| 455 -700 रू॰/1400- 2300 रू॰ और इससे अधिक | ग्रेड में ही 100% |
| यार्ड मास्टर / सहा॰यार्ड मास्टर ग्रेड: 455-700 रू॰/ 1400- 2300 (सं॰वे॰) | छुट्टी स्वजी प्रत्येक रेलवे की परिपाटी के अनुसार परिचालित किया जाए । |
| 2. स्विचमैन 330-560 रू/ 1200-2040 रू॰ | कोटि में ही उपलब्ध किया जाना है । (संदर्भ: बोर्ड का 28·12·64 का पत्र सं॰ई(जी)62 एल आर 1/10) । |
| 3. केबिन मैन ग्रेड I-260-400 रू॰/950-1500 रू॰ केबिन मैन ग्रेड II-210-270 रू॰/800-1150 रू॰ लीवरमैन पॉनीट्स मैन | छुट्टी स्वजी 210-270 रू॰/800-1150 के ग्रेड में मुहैया किया किया जाए तथा जहां ग्रेड में कम पदों के परिणामस्वरूप इस ग्रेड में यह व्यवस्था अपर्याप्त पायी जाती है, वहां 260-400 रू॰ (सं॰व॰) के ग्रेड में आवश्यक सीमा तक पदों |

...2/-

| 1 | | | 2 |
|---|---|---|---|
| | | | को उपलब्ध कराकर कमी को पूरा किया जाए ।<br>§संदर्भ :- बोर्ड का 23. 12. 64 का पत्र सं. ई§जी§62<br>एल आर 1/10, 20. 5. 78 का पत्र सं. ई<br>§जी§76 एल आर 1/6, 16. 12. 83 का<br>पत्र सं. पी सी 111/81/सी ए 111/17§. |
| 4. | गार्ड "ए" स्पेशल<br>गार्ड "ए"<br>गार्ड "बी"<br>गार्ड"सी" | 455-700रू. §सं. वे. §<br>425-700रू. §सं. वे. §<br>425-600रू. §सं. वे. §<br>330-560रू. §सं. वे. §<br>330-530रू. §सं. वे. § | 1400-2600<br>1350-2200<br>1200-2040 | गार्ड"ए" स्पेशल और गार्ड"ए" के लिए 425-600रू. §सं. वे. § में छुट्टी एवज़ी प्रदान किया जाना है ।<br>§संदर्भ : बोर्ड का 25. 6. 85 का पत्र सं. पी सी 111/84/यूपीजी/19§.<br>स्वयं कोटि में ही प्रदान की जानी है ।<br>§संदर्भ : बोर्ड का 8. 6. 79 का पत्र सं. ई§जी§78<br>एल आर 1/16§.<br>कोटि में ही प्रदान किया जाना है ।<br>§संदर्भ : बोर्ड का 27. 4. 73 का पत्र सं. ई§जी§70<br>एल आर 1/14§. |
| 5. | जमादार | 330-480रू. §सं. वे. §/<br>1200-1800 | | स्वयं कोटि में ही प्रदान किया जाना है ।<br>§संदर्भ : बोर्ड का 27. 4. 73 का पत्र सं. ई§जी§70<br>एल आर 1/14 |

...3..

| 1 | | 2 |
|---|---|---|
| 6. | मुख्य नियंत्रक 840-1040/1200रू. §सं. वे. § 2375-3500<br>उप नियंत्रक 700-900रू. §सं. वे. § /2000-3200<br>अनुभाग नियंत्रक 470-750रू. §सं. वे. § /1400-2600 | मुख्य नियंत्रक और उप मुख्य नियंत्रक के पदों पर छुट्टी एवज़ी पद 700-900रू. §सं. वे. § के ग्रेड में 50% की सीमा तक और शेष 470-750 §सं. वे. § के ग्रेड में ।<br>§संदर्भ : बोर्ड का 29.12.81 का पत्र सं. ई§जी§ 79 एल आर 1/12. |
| 7. | गार्ड के प्रावधान के चैनल में<br>परिवटन निरीक्षक<br>यार्ड पर्यवेक्षक एवं यातायात पर्यवेक्षक | गार्ड; "बी" के ग्रेड में व्यवस्था की जानी है ।<br>§संदर्भ : बोर्ड का 8.7.71 का पत्र सं. ई§जी§70 एल आर 1/3, 17.9.69 ई§जी§68 एल आर 1/12§. |
| 8. | ब्रेक मैन 225-308रू. §सं. वे. § 325-1200 | उसी कोटि में प्रदान किया जाए ।<br>§संदर्भ : बोर्ड का 30.10.69 का पत्र सं. ई§जी§68 एल आर 1/2§. |
| 9. | चल टिकट परीक्षक 330-560रू. §सं. वे. § /1200-2040 | चल टिकट परीक्षक के ग्रेड में छुट्टी एवज़ी का 50% और 260-400रू. §सं. वे. § में टिकट कलेक्टर के ग्रेड में छुट्टी एवज़ी का शेष 50%<br>§संदर्भ : बोर्ड का 8.11.71 का पत्र सं. ई§जी§70 एल आर 1/6 |

.....4..

| 1 | 2 |
|---|---|
| 10. पूछताछ एवं आरक्षण लिपिक 330-560रू. §सं. वे. §/ 1200-2040 | ग्रेड में ही ।<br>§संदर्भ : बोर्ड का 27.4.73 का पत्र सं. ई§जी§72 एल आर 1/6§. |
| 11. कंडक्टर 425-600रू. §सं. वे. §/1400-2300 | ग्रेड में ही§<br>§संदर्भ : बोर्ड का 15.4. का पत्र सं. ई§जी§62 एल आर 1/ 9§ |
| 12. रसोइया§खान-पान विभाग§ 75-110रू. §सं. वे. §/<br>210-270रू. §सं. वे. §/<br>800-1150 | रसोइयो के वर्ग में ।<br>§संदर्भ: बोर्ड का 25.6.65 का पत्र सं. ई§जी§65 एल आर 1/4§ |
| 13. सहा. प्रबंधक§खान-पान§ 110-200रू. §सं. वे. §<br>§खान-पान पर्यवेक्षक§ 260-430रू. §सं. वे. § | लिपिक के स्थान पर इस कोटि में ही ।<br>§संदर्भ :बोर्ड का 11.8.66 का पत्र सं. ई§जी§65 एल आर 1/4§. |
| 14. ड्राईवर "ए" स्पेशल 550-750रू. §सं. वे. §/ 1640-2900<br>पैसेन्जर ड्रैाईवर 550-700रू. §सं. वे. §/ 1600-2660 | ड्राईवर"ए" स्पेशल और ड्राईवर"ए" के लिए छुट्टी एवज़ी 550-700§सं. वे. § के ड्राईवर"ए" ग्रेड में होगी ।<br>§संदर्भ : बोर्ड का 25.6.85 का पत्र सं. पी सी 111/84/ यू पी जी/19§. |
| गुड्स ड्राईवर 425-640रू. §सं. वे. § /1350-2200 | ड्राईवर"बी" कोटि में । §संदर्भ : बोर्ड का 5.12.68 का पत्र सं. ई §जी§8 एल आर 1/1.§. |
| ड्राईवर "सी" 330-560रू. §सं. वे. §/1350-2200 | ड्राईवर"सी" कोटि में । §संदर्भ : बोर्ड का 20.4.74 का पत्र सं. ई §जी§73 एल आर 1/19§. |

....5..

(4) (5)



| 1 | | 2 |
|---|---|---|
| 15. | शंटर | 330-560रू. §सं. वे. §/<br>290-400रू. §सं. वे. §/ 1200-2040 |
| 16. | फायरमैन "ए"<br>सहा. इलेक्ट्रिक लोको ड्राईवर | 290-350रू. §सं. वे. §/ 950-1500<br>"<br>" |
| 17. | शंटर§डीज़ल§ | 1200-2040 |
| 18. | वर्क्स मिस्त्री | 340-560रू. §सं. वे. §/1320-2040 |
| 19. | यांत्रिक, सिगनल एवं दूरसंचार, बिजली, सिविल इंजी., कारखानों, मुद्रणालय, लोको शेड्स, सी एंड डब्ल्यू डिपो डिपो, ट्रेन लाईटिंग, ई एम यू डिपो और ट्रैक्शन लाइटिंग में कुशल पद । | |
| 20. | चार्जमैन | 425-700रू. §सं. वे. §/1400-2300 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| शंटर की कोटि में | §संदर्भ : बोर्ड का 17.9.69 का पत्र सं. ई§जी§ 68 एल आर 1/12§. |
| | 290-350रू. §सं. वे. § के ग्रेड में प्रदान की जानी है ।<br>§संदर्भ : बोर्ड का 28.3.69 का पत्र सं. ई§जी§68 एल आर 1/2और 25.6.85 का पत्र सं. पी सी111/84/ई, पी जी/19§. |
| | उसी ग्रेड में प्रदान की जानी है ।<br>§संदर्भ : बोर्ड का 28.3.69 का पत्र सं. ई§जी§68 एल आर सी/12§. |
| | राजमिस्त्री/वेल्डर/लुहार इत्यादि की कोटि की जगह स्वयं वर्क्स मिस्त्री के ग्रेड में ।<br>§संदर्भ : बोर्ड का 5.1.66 का पत्र सं. ई§जी§64 एल आर1/2§. |
| | सभी कुशल पदों जैसे कुशल, उच्च कुशल ग्रेड । एवं ग्रेड 11 के लिए कोटि में न्यूनतम कुशल ग्रेड में छुट्टी एवज़ी प्रदान किया जाना ।<br>§संदर्भ : बोर्ड का 10.9.70 का पत्र सं. ई§जी§70 एल आर 1/13, 24.11.70 और 30.8.71 के पत्र सं. ई§जी§70 एल आर1/13§. |
| | स्वयं ग्रेड में हो । §संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 31.10.57 का पत्र सं. ई §एस§1/57 ए डी८1/12§. |

जे

....6..

| 1 | | 2 |
|---|---|---|
| 21. | सहा. सिगनल इंस्पेक्टर 425-640रू. (सं. वे.) 1400-<br>सहा. ब्लॉक निरीक्षक 425-640रू. (सं. वे.) 2300 | 425-640रू. (सं. वे.) के ग्रेड में ।<br>(संदर्भ : बोर्ड का 19.1.66 का पत्र सं. ई(जी) 64 एल आर 1/15). |
| 22. | सिगनल उपस्करों का रख-रखाव करने वाले ग्रेड-I कर्मचारियों सहित<br>ब्लाक सिगनल अनुरक्षक 380-560रू. (सं. वे.) /1320-2240 | स्वयं ग्रेड में ही । (संदर्भ : बोर्ड का 22.12.78 का पत्र सं. ई (जी) 78 एल आर 1/17). |
| 23. | सिगनल उपस्करों का रख-रखाव करने वाले ग्रेड-II कर्मचारियों सहित<br>ब्लॉक सिगनल अनुरक्षक. 330-480रू. (सं. वे.) /1200-1800 | स्वयं ग्रेड में ही (संदर्भ : बोर्ड का 21.4.79 का पत्र सं. ई(जी) 78 एल आर 1/17) |
| 24. | ड्रेसर 225-308रू. (सं. वे.) /825-1200 | 210-270रू. (सं. वे.) के वेतनमान में ड्रेसर को कोटि में प्रदान की जानी है ।<br>(संदर्भ : बोर्ड का 14.4.82 का पत्र सं. ई(जी) 81 एलआर 1/14). |
| 25. | अनुभाग अधिकारी (लेखा) - 500-900रू. (सं. वे.)<br>भंडार लेखा निरीक्षक - 500-900रू. (सं. वे.)<br>1640-2900रू. (सं. वे.) | 1200-2040रू. (सं. वे.) अर्थात् कनिष्ठ लेखा सहायक के ग्रेड में प्रदान की जानी है ।(संदर्भ : बोर्ड का 3.7.86, 29.2.88 और 27.7.88 का पत्र सं. ई(जी) 86 एलआर 1/2). |
| 26. | लोको पर्यवेक्षी कर्मचारी<br>जैसे लोको फायरमैन, लोको निरीक्षक पॉवर कंट्रोलर, ईंधन निरीक्षक, लोको रनिंग कर्मचारियों की पदोन्नति | ड्राईवर "बी" की कोटि में प्रदान की जाने वाली छुट्टी ड्यूटी ।<br>(संदर्भ : बोर्ड का 17.9.69 का पत्र सं. ई(जी) 68 एल आर 1/12). |